संख्याः 106/69-1-98-2 (एस डी)/97

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
(संबन्धित 45 नगर, उ.प्र.)

लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 1998

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय: भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से चूँकि अब विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हो गये है, अतः संक्षिप्त मार्ग-निर्देशों के आधार पर पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 535/69-1-97-2 (एस.डी.)/97, दिनांक 17 मार्च, 1997 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए निम्नलिखित कार्यकारी निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के कर्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रतियां हिन्दी में रूपान्तर कर सूडा द्वारा संलग्नक-1 में उल्लिखित नगरों को तत्काल उपलब्ध करा दिये जाय।

2. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम जो शत–प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित है, के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा पृथक से रख जाय।

3. योजनान्तर्गत प्रदत्त धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, किसी भी दशा में व्ययावर्तन न किया जाय, अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

4. भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार चूँकि योजना का कार्यान्वयन स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना की भाँति ही किया जाना है। अतः एस.जे.एस.आर.वाई. के क्रियान्वयन से संबन्धित पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 1945/69-1-97-01 (एस.जे.)97, दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 के अनुसार ही जिला नगरीय विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार शासन द्वारा धनराशि सीधे जनपदों

को नियमानुसार प्रदान की जायेगी तथा शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ही सूडा से धन अवमुक्त किया जायेगा।

5. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कराये जाने सिविल निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 459/69-1-97-45 एन.आर.वाई/96, दिनांक 13 अगस्त, 1996 के अनुसार जिला नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर ही प्रदान की जायेगी। संबन्धित नगरीय स्थानीय निकाय में उपलब्ध अभियन्तागण कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

6. योजनान्तर्गत प्रत्येक नगर स्तर पर एस.जे.एस.आर.वाई. की ही भांति एक "नगरीय गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ" स्थापित किया जायेगा। नगर स्तर पर गठित "नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि" के खाते का संचालन परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी अथवा सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

7. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का पृथक उप खाता खोला जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यय एवं रख-रखाव के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

9. योजना के अभिसरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा अर्थात् दूसरे विभागों की निधियों को सम्मिलित करना होगा ताकि मलिन बस्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके। योजनान्तर्गत अन्य योजनाओं को सम्मिलित न किया जाय ताकि दोहरे व्यय से बचा जा सके।

9. प्रत्येक जिला नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए एक कार्य योजना समय से पूर्व तैयार कर ली जाय एवं कार्य योजना की एक प्रति शासन को तथा एक प्रति सूडा को उपलब्ध करायी जाय। तैयार की गई कार्य योजना से हट कर अतिरिक्त कार्य कराये जाने से पूर्व सूडा के माध्यम से शासन की स्वीकृति अति आवश्यक होगीं।

10. कार्य योजना के आधार पर डूडा द्वारा स्वीकृत कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन एवं अनुश्रवण सूडा द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

11. प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त धन राशि एवं कराये गये कार्यों का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्व की ही भांति प्रत्येक माह की 25 तारीख तक डूडा को उपलब्ध कराई जायेगी। डूडा द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों की प्रगति रिपोर्ट एकत्रित एवं संकलित कर माह के अन्त तक सूडा को उपलब्ध करा दी जाय। राज्य नागर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जनपदों की सूचना संकलित की जायेगी एवं प्रत्येक माह के 10 तारीख तक उक्त प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

12. प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक माह योजना की प्रगति समीक्षा की जायेगी तथा पायी गयी कमियों एवं शिथिलता के लिये

यथासंभव निर्देश जारी किये जायेंगे।

13. योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की प्रगति तथा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर भी संबन्धित नगरों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

14. चूँकि प्रश्नगत योजना शत-प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित हैं, योजना अन्तर्गत हुई प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही भारत सरकार से धनराशि की मांग की जा सकेगी। अतः योजना की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा।

अवगत हैं कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में ही यथा अपेक्षित धनराशि प्रदान की जा चुकी है, परन्तु इस संबंध में हुई प्रगति से अब तक शासन को अवगत नहीं कराया गया है। अतः अनुरोध है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तत्काल गतिशीलता लाये जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश देने तथा योजना अन्तर्गत अब हुई प्रगति तथा अवशेष धनराशि की सूचना भी तत्काल सूडा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि योजना अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

संलग्नः नगरों की सूची।

भवदीय,

(एस. एन. झा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः **106(1)/69-1-98-2** (एस.डी.)/**97**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. संबंधित समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों का हिन्दी रूपान्तर कर उसकी एक–एक प्रति प्रत्येक संबन्धित डूडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक, यू.पी.ए., भारत सरकार, शहरी रोज़गार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन, नगर विकास, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(एस. एन. झा)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्याः 106/69-1-98-2 (एस.डी.)/97, दिनांक 20 जनवरी,1998 का संलग्नक

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित नगरों की सूची।

संलग्नक-1

क्रम संख्या	नगर का नाम	क्रम संख्या	नगर का नाम
1.	आगरा	23.	रायबरेली
2.	अलीगढ़	24.	सीतापुर
3.	मथुरा	25.	मेरठ
4.	फिरोजाबाद	26.	गाजियाबाद
5.	इलाहाबाद	27.	सहारनपुर
6.	फतेहपुर	28.	मुजफ्फरनगर
7.	जौनपुर	29.	बुलन्दशहर
8.	मऊ	30.	हरिद्वार
9.	बरेली	31.	मुरादाबाद
10.	बदायूँ	32.	रामपुर
11.	शाहजहाँपुर	33.	वाराणसी
12.	पीलीभीत	34.	मिर्जापुर
13.	फैजाबाद	35.	सम्भल
14.	बहराइच	36.	नौएडा
15.	देहरादून	37.	हापुड़
16.	गोरखपुर	38.	अमरोहा
17.	झांसी	39.	मोदीनगर
18.	कानपुर नगर	40.	हाथरस
19.	फर्रूखाबाद	41.	हल्द्वानी एवं काठगोदाम
20.	इटावा	42.	मंसूरी
21.	लखनऊ	43.	प्रतापगढ़
22.	उन्नाव	44.	गोपेश्वर
		45.	जोशीमठ